

**अधीक्षक का कार्यालय,
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर।**

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या 5458 दिनांक 21.10.2023 के आलोक में तत्कालीन अधीक्षक के द्वारा दवा, मशीन-उपकरण एवं विविध सामग्री आपूर्ति को रद्द किया गया था।

उक्त के आलोक में जो भी सामग्री वर्ष 2023-2025 के निविदा से खरीद की गई है। उसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।

ह0/-

अधीक्षक

जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय
अस्पताल, भागलपुर।

- ज्ञापांक 3343 / भागलपुर दिनांक 19/10/2023
- प्रतिलिपि:- सभी आपूर्तिकर्ता एजेंसी, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भागलपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- क्रय लिपिक/प्रधान लिपिक/रोकड़पाल, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अस्पताल प्रबंधक, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- भंडारपाल, सर्जिकल एवं औषधि भंडार, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सर्जिकल एवं औषधि भंडार, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- प्राचार्य, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- इसकी एक प्रति, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल भागलपुर के सूचना पट्ट एवं वेबसाईड पर अपलोड करने वास्ते।

अधीक्षक

जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय
अस्पताल, भागलपुर।

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रमाणित
दिनांक 22/10/23
अधीक्षक कार्यालय
ज० ला० ने० चि० महा०
एच अस्पताल, भागलपुर

सुधीर कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक,
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल,
भागलपुर।

पटना, दिनांक- 6 / 12 / 2023

विषय:- माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No.-...../2023 श्री श्याम इन्टरप्राइजेज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No.-...../2023 श्री श्याम इन्टरप्राइजेज बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामला जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर में दवा, मशीन-उपकरण/उपस्कर एवं अन्य विविध सामग्री आपूर्ति हेतु दिनांक-18.05.2023 को निर्गत टेन्डर नोटिस को अधीक्षक के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-5458, दिनांक-21.10.2023 द्वारा निरस्त कर दिये जाने से संबंधित है।

प्रस्तुत वाद की विषयवस्तु मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर से संबंधित है।

अतः अनुरोध है कि संबंधित सरकारी अधिवक्ता से पटना उच्च न्यायालय, पटना में सम्यक कर याचिका में वर्णित तथ्यों के आलोक में अविलम्ब प्रतिशपथ पत्र दायर करवाते हुए, ओथ की प्रति (ओथ नं० एवं तिथि सहित) विभाग को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

इसकी सूचना G.A.-5, पटना उच्च न्यायालय, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(सुधीर कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:- 1/कोर्ट-71/2023-788(1)

/स्वा०, पटना, दिनांक- 6 / 12 / 2023

प्रतिलिपि:-G.A.-5, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव